मु.नं.–16 / 2020 GCMS ID-2020/00031 ता.रजु–23.03.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राममिलन शर्मा पुत्र श्री केदारलाल शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट पांचोली, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–19.08.2020

1. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण न्यायालय में सुनवाई स्थगित किये जाने से प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर EDPS ब्लाक डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर (EDPS इंजिनियर) फरवरी 2016 से दिनांक 06.01.2020 तक कार्य कर रहे कर्मचारियों के सत्यापित हाजरी एवं जोइनिंग लेटर, शैक्षणिक योग्यता आदि की प्रमाणित प्रति सहित कुल 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–रसद / आरटीआई / 2019–20 / 166 दिनांक 23.06.2020 द्वारा अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक–रसद / आरटीआई / 2020–21 / 104–105 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचना भिजवा दी गई है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। साथ ही यह कथन भी किया है कि EDPS एक निजी संस्था है जिसके कर्मचारियों का डाटा जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं किया जाता। अंत में अपील, अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का कथन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं उनके विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। चूंकि EDPS एक निजी संस्था है जिसके कर्मचारियों का डाटा जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं किया जाता। अतः सूचना दिया जाना संभव भी नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से एवं सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी के उपस्थित नही आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा किये गये विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.25 17:45:20 IST
Reason: SelfAttested